[2016] 9 S.C.R 819

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड

बनाम्

बिहार क्रिकेट संघ और अन्य (सिविल अपील संख्या- 4235/2014)

21 अक्टूबर, 2016

[टी. एस. ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

सर्वोच्च न्यायालय बी.सी.सी.आई. द्वारा निर्देश का उल्लंघन-सर्वोच्चन्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति-के अंतिम निर्णय और आदेश में अनुमोदित समिति की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय दिनांक 18 जुलाई, 2016-इसको चुनौती देते हुए; बी. सी. सी. आई. के अध्यक्ष ने आई. सी. सी. के सी. ई. ओ. से अनुरोध किया कि वह यह बताए कि सी. ए. जी. नामित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए समिति की सिफारिश बी. सी. सी. आई. के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के समान है- अभिनिर्धारित किया। एक बार समिति की सिफारिश के फैसले को 18 जुलाई 2016 को स्वीकार कर लिया गया था तब बी. सी. सी. आई. अध्यक्ष के लिए ऐसा करने का अवसर नहीं था। उक्त फैसले का कार्यान्वयन प्रथम दृष्टया बी. सी. सी. आई. और उसके अधिकारियों की हठधर्मिता से बाधित था-हालांकि, बी. सी. सी. आई. की गलती थी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। जूनियर को अपनी ईमानदारी स्थापित करने और 18 जुलाई, 2016 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया-बी. सी. सी. आई. के इस निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और क्रिकेट के खेल के व्यापक हित में, इस स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। प्रशासकों की नियुक्ति के लिए (समिति द्वारा मांगे गए अनुसार), ताकि बी. सी. सी. आई. अपने विश्वास का अच्छा प्रदर्शन कर सके-बी. सी. सी. आई. पहले समिति के समक्ष और सुनवाई की अगली तारीख तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दे-

हालांकि, बी. सी. सी. आई.-के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के हित में अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए:- खेल-क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यपद्धति को भारत में (बी. सी. सी. आई.) पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और जवाबदेह बनाने के लिए, न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी।समिति द्वारा बी. सी. सी. आई. में कैग नामित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिशें की गई थीं, जिनका सर्वोच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2016 रिपोर्ट [2016] के अंतिम निर्णय और आदेश में समर्थन किया गया था। अंतिम निर्णय में निहित निर्देशों को लागू करने हेतु समिति को एक पर्यवेक्षी भूमिका सौंपी गई थी। समिति ने यह देखते हुए स्थिति रिपोर्ट दायर की कि "बी. सी. सी. आई. ने बार-बार समिति को कमजोर करने के लिए कदम उठाए। यह भी कहा गया कि बी. सी. सी. आई. के अध्यक्ष ने आई. सी. सी. से एक पत्र जारी करने का अनुरोध करने की सीमा तक भी चला गया था कि "यह समिति सरकारी हस्तक्षेप के बराबर है।"इसके अनुसरण में, इस न्यायालय ने बी. सी. सी. आई. के अध्यक्ष से एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि क्या उन्होंने आई. सी. सी. के सी. ई. ओ. से यह कहने के लिए कहा था कि न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की नियुक्ति बी. सी. सी. आई. के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के समान है। बी. सी. सी. आई. अध्यक्ष ने तदनुसार उक्त निर्देश के संदर्भ में एक हलफनामा दायर किया।

अदालत ने

अभिनिर्धारित किया:1. वर्तमान मामले में, कुछ जारी करना 7 अक्टूबर 2016 के पिछले आदेश निहित आदेश के अलावे कुछ निर्देश को जारी करना अपरिहार्य हो गया हैं।प्रथम दृष्टया, न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में सार है। 18 जुलाई 2016 के इस न्यायालय के अंतिम आदेश का कार्यान्वयन को बी. सी. सी. आई. और इसके पदाधिकारियों की हठधर्मिता ने प्रथम दृष्टया बाधित किया है।हालाँकि, बी. सी. सी. आई. की ओर से की गई इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि वह इस न्यायालय के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य संघों को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और क्रिकेट के खेल के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रशासकों की नियुक्ति के लिए समिति द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में इस स्तर पर निर्देश जारी करने से बच रहा

है ताकि बी. सी. सी. आई. समिति के समक्ष अपनी सद्भावना और अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों को पहली बार में और सुनवाई की अगली तारीख तक इस न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करें। हालाँकि, 18 जुलाई 2016 के बाद की घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए, बी. सी. सी. आई. के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के हित में कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए।[कंडिका 19) [832-बी-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 4235/2014

बॉम्बे उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के निर्णय और आदेश दिनांक 30.07.2013 से जनहित याचिका सं. 2013 का 55

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाम बिहार संघ एवं अन्य

के साथ

सी. ए. सं. 4236/14 और सी. ए. सं. 1155/15

मनिंदर सिंह, एएसजी, गोपाल सुब्रमण्यम, कपिल सिब्बल, सुश्री नलिनी चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्त्ता संतोष कृष्णन, अंकुर कश्यप, राघव चड्ढा, पवन भूषण, अभिक चिमनी, सुश्री राधा रंगास्वामी, अभिनव मुखर्जी, सुश्री रंजीत रोहतगी, विकास मेहता, रजत सहगल, करनदीप खन्ना, सुश्री अनुश्री मेनन, गगन गुप्ता, अभिनव मुखर्जी, सुश्री नीला गोखले, देवांशु शर्मा, अन्वेष वर्मा, गौरव कुमार, सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल, सेंथिल जगदीशन, अमोल चिताले, निर्निमेश दुबे, प्रज्ञा बघेल, आर. बालासुब्रमण्यम, अनन्या मिश्रा, सुश्री आरती शर्मा, राज बहादुर, श्रीकांत एन. तेरदल, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री लिज़ मैथ्यू, एम.एफ. फिलिप, अमित ए. पाई; राहत बंसल, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., वी. के. बीजू, सुश्री रियो सचथे, सुश्री अंजलि चौहान, एम. योगेश कन्ना, सुश्री निथ्या, ए. एस. भास्मे, ई. सी. अग्रवाल आला, श्री पाल सिंह, श्रीमती ललिता कौशिक, सुश्री मंजू शर्मा, प्रवीण स्वरूप, सुश्री सोनिया माथुर, चिराग एम. श्रॉफ, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, गौरव शर्मा, सुश्री रश्मि सिंह, अनीश आर. शाह, अंशुमन अशोक, मिश्रा सौरभ, सुश्री पूजा धर, विपिन नायर, दीप्तकीर्ति वर्मा, तमाली वाड, विकास सिंह जांगड़ा, राहुल प्रताप; उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति

1. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम बिहार क्रिकेट संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा बिहार एसोसिएशन[1], भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड[2] के संविधान के मसौदे को मंजूरी दी गई।न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना संविधान में कोई भी संशोधन प्रभावी नहीं किया जाएगा। संविधान के खंड 45 में, अनुमोदित रूप में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

> "बी. सी. सी. आई. के इन नियमों और विनियमों को निरस्त, उसमें जोड़ा, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस उद्देश्य के लिए या वार्षिक आम बैठक में बुलाई गई आम सभा की विशेष आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने के हकदार सदस्यों का 3/4 बहुमत हो।ऐसा कोई भी संशोधन माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा।"

2. 1 दिसंबर, 2019 को वार्षिक आम बैठक[3] में कुछ संशोधनों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

3. संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है।संशोधन के लिए प्रस्तावित सुसंगत खंडों के प्रति निर्देश आवश्यक होगा।

4. मौजूदा संविधान के खंड 6 (4) में यह शर्त शामिल है कि कोई पदाधिकारी जिसने किसी राज्य संघ या बीसीसीआई में लगातार दो बार कोई पद संभाला है या दोनों का एक संयोजन है, वह तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं

---

1 (2018) 9 एससीसी 624

2 "बी.सी.सी.आई."

3 एजीएम

होगा।कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान किसी पदाधिकारी के शासी परिषद या बीसीसीआई या राज्य संघ की किसी समिति का सदस्य बनने पर प्रतिबंध है।कूलिंग ऑफ पीरियड अपनाने के औचित्य को इस न्यायालय के निर्णय की धारा सी में विस्तार से बताया गया था।इस तर्क को निर्णय के पैराग्राफ 35 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गयाः

> "...कूलिंग-ऑफ अवधि की कई विशेषताएं होती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैंः
>
> (i) यह निहित व्यक्तिगत हितों के विकास के खिलाफ एक सुरक्षा है
>
> (ii) यह कुछ हाथों में शक्ति के केन्द्रीकरण के विरुद्ध सुनिश्चित करता है।
>
> (iii) यह अधिकार के फैलाव की सुविधा देता है और
>
> (iv) यह अनुभवी प्रशासकों के एक व्यापक निकाय के सृजन को प्रोत्साहित करता है।
>
> कूलिंग-ऑफ को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि कुछ व्यक्तियों को क्रिकेट के प्रशासन को एक व्यक्तिगत मैदान के रूप में लेने से रोका जा सके।यह खेल बिना क्रिकेट के अलगाववाद के बेहतर होगा।"

5. लगातार दो कार्यकाल पूरा होने के बाद ठंडा होने की अवधि के लिए प्रस्तावित प्रावधान की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित उदाहरण प्रदान किएः

> "हालांकि, हमारे विचार से यह निर्देश देना उचित होगा कि किसी व्यक्ति के लगातार दो कार्यकाल या किसी राज्य संघ या दोनों के संयोजन के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि लागू होगी।उदाहरण के लिए, यदि कोई पदाधिकारी किसी राज्य संघ में किसी पद पर लगातार दो कार्यकाल के लिए पद पर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि का सामना करना होगा।इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति ने लगातार छह वर्ष की कुल अवधि के लिए बीसीसीआई के पदाधिकारी के रूप में कोई पद धारण किया है, तो उस व्यक्ति के पास बीसीसीआई या किसी राज्य संघ के लिए फिर से चुनाव कराने से पहले तीन वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि होनी

चाहिए।कूलिंग-ऑफ अवधि उस स्थिति में भी लागू होगी जहां कोई व्यक्ति राज्य संघ में एक कार्यकाल के लिए पद धारण करता है और उसके बाद बीसीसीआई में एक पद लगातार या इसके विपरीत।इससे यह सुनिश्चित होगा कि छह साल की अवधि के बाद, जिसमें लगातार दो कार्यकाल शामिल हैं, कूलिंग-ऑफ अवधि को आकर्षित किया जाएगा।किसी व्यक्ति को लगातार छह साल के लिए एक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति देना, खेल के हित में प्राप्त अनुभव और ज्ञान को एक ही समय में बिना शक्ति के एकाधिकार के परिणाम के रूप में तैनात करने के लिए एक पर्याप्त लंबी अवधि है।"

6. खंड 6.4 का एक संशोधन इस आधार पर प्रस्तावित किया गया है कि बी. सी. सी. आई. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने क्रियाकलाप करता है। दूसरी ओर, राज्य संघों की गतिविधियां प्रत्येक राज्य के स्तर पर आयोजित की जाती हैं। हालांकि इससे जुड़े कार्यों के बीच ओवरलैप की एक डिग्री हो सकती है। एक ओर राज्य स्तर पर और दूसरी ओर बी. सी. सी. आई. द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्य बड़ी संख्या में क्षेत्रों और क्रियाकलापों में भिन्न हैं।

7. आवेदक की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित खंड 6 (4) इंगित करता है कि एक व्यक्ति जिसने राज्य स्तर पर एक कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद बीसीसीआई में एक कार्यकाल पूरा किया है, उसे तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी करनी होगी।दूसरे शब्दों में, हालांकि बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने बीसीसीआई में केवल एक कार्यकाल पूरा किया है, कूलिंग ऑफ पीरियड प्रभावी होगा।यह प्रस्तुत किया गया है कि एजीएम में सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया गया है कि इस प्रावधान को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी पदाधिकारी द्वारा एक ही स्तर पर लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड प्रभावी होगा, यानी राज्य संघ या बीसीसीआई में।इसी तरह बीसीसीआई में लगातार दो कार्यकाल पूरा करने वाले पदाधिकारी को बीसीसीआई के स्तर पर कोई भी चुनाव कराने से पहले अनिवार्य रूप से तीन साल का ब्रेक लेना होगा।

8. संशोधित प्रावधान, जैसा कि एजीएम में प्रस्तावित है, कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता को केवल अध्यक्ष और सचिव के पदों तक ही सीमित रखने का प्रयास करता है। प्रस्तावित संशोधन में दूसरे शब्दों में कहा गया है कि कूलिंग ऑफ पीरियड अन्य पदों पर लागू नहीं होगा।

9. श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनसे न्याय मित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया था, ने प्रस्तुत किया कि शीतलन अवधि को केवल अध्यक्ष और सचिव के पद तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं होगा और इसे बीसीसीआई और राज्य संघों के सभी अन्य पदाधिकारियों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

10. स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, इस न्यायालय के समक्ष एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत किया गया है जो यह दर्शाता हैः

(i) वर्तमान उपबंध

(ii) बी.सी.सी.आई. द्वारा प्रस्तावित संशोधित उपबंध एवं

(iii) न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के बाद प्रस्तावित खंड

11. सारणीबद्ध स्थिति (ट्रैक मोड में) इस प्रकार हैः

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
6 (4)	कोई पदाधिकारी जिसने किसी राज्य संघ या बीसीसीआई (या दोनों के संयोजन) में लगातार दो कार्यकाल के लिए कोई भी पद संभाला हो, वह तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना आगे कोई चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा	कोई भी अध्यक्ष या सचिव, जिसने किसी राज्य संघ या बीसीसीआई (या दोनों के संयोजन) में लगातार दो कार्यकाल के लिए कोई भी पद संभाला हो, तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा	6.4.1 कोई पदाधिकारी जिसने बी. सी. सी. आई. में लगातार दो बार कोई पद धारण किया है, तीन वर्ष की शीतलन अवधि पूरी किए बिना बी. सी. सी. आई. में आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। इस कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी शासी परिषद या बीसीसीआई की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा।

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
	पदाधिकारी शासी परिषद या बीसीसीआई या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। पद 'पदाधिकारी' को किसी अन्य समिति या बीसीसीआई में शासी परिषद या किसी अन्य का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	'पदाधिकारी' शासी परिषद या बीसीसीआई की किसी भी समिति या राज्य संघ का सदस्य नहीं होगा। 'अध्यक्ष' या 'सचिव' पद का सदस्य होने के कारण इस पद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य संघ, जैसा भी मामला हो। कोई अन्य समिति या बीसीसीआई में शासी परिषद या किसी राज्य संघ, जैसा भी मामला हो,	6.4.2 यदि किसी व्यक्ति ने राज्य संघ में और बी. सी. सी. आई. [या इसके विपरीत] में लगातार बिना किसी विराम के लगातार दो बार सेवा की है, तो ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की शीतलन अवधि पूरी किए बिना राज्य संघ या बी. सी. सी. आई. में आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी शासी परिषद या बीसीसीआई या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। पद 'पदाधिकारी' को किसी अन्य समिति या बीसीसीआई में शासी परिषद या किसी राज्य संघ का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो। राज्य संघों में अलग से निम्नलिखित खंड हो सकते हैंः - 6.4.1 कोई पदाधिकारी जिसने राज्य संघ में लगातार दो बार कोई पद संभाला है, वह तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना ऐसे राज्य संघ में आगे कोई चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। इस कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी शासी परिषद या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। पद 'पदाधिकारी' को राज्य संघ में किसी अन्य समिति या शासी परिषद का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
			6.4.2 यदि किसी व्यक्ति ने राज्य में लगातार दो कार्यकालों तक सेवा की है। संघ और बीसीसीआई में (या इसके विपरीत) लगातार बिना किसी ब्रेक के, ऐसा व्यक्ति राज्य संघ या बीसीसीआई में आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा, तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना। कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी शासी परिषद या बीसीसीआई या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। पद 'पदाधिकारी' को किसी अन्य समिति या बीसीसीआई में शासी परिषद या किसी राज्य संघ का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

12. जैसा कि उपर्युक्त सारणी से उपदर्शित होता है, न्यायमित्र ने स्पष्टता के लिए विद्यमान उपबंध के विभाजन का प्रस्ताव किया है और इसके लिए बी. सी. सी. आई. तथा राज्य संघों के स्तर पर शीतलन अवधि की समान अपेक्षाएं आरंभ की गई हैं। खंड 6 (4), जैसा कि मूल रूप से शामिल किया गया है, इसलिए बीसीसीआई और राज्य संघों के लिए अलग से विभाजित करने की मांग की गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि न्याय मित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन बीसीसीआई को स्वीकार्य है।

13. आवेदन और दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, हमारा यह सुविचारित मत है कि ऊपर तीसरे स्तंभ में प्रस्तावित संशोधन न्याय मित्र के सुझावों के संदर्भ में स्वीकार किया जाना चाहिए।उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है।

14. कूलिंग ऑफ पीरियड अपनाने के लिए प्रमुख औचित्य इस न्यायालय के ऊपर उद्धृत निर्णय में स्पष्ट किया गया है। इस न्यायालय ने यह तर्क अपनाया था कि शीतल की अवधि तब शुरू होगी जब कोई व्यक्ति बीसीसीआई या किसी राज्य संघ या दोनों के संयोजन में लगातार दो कार्यकाल के लिए पद संभालेगा।मौजूदा स्थिति का प्रभावी परिणाम यह है किः

(i) एक व्यक्ति जो दो के लिए राज्य संघ में पदाधिकारी के रूप में चुना जाता है, लगातार शर्तों को शीतलन होने की अवधि से गुजरना होगा

(ii) एक व्यक्ति जो लगातार दो बार बीसीसीआई में पदाधिकारी के रूप में चुना गया है, शीतलन अवधि से गुजरना होगा और

(iii) एक व्यक्ति जो राज्य संघ में एक कार्यकाल के लिए पदाधिकारी के रूप में चुना जाता है और उसके बाद एक कार्यकाल के लिए बीसीसीआई में पदाधिकारी के रूप में चुनाव होता है, उसे भी इसी तरह से कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होगा।

15. अतः, परिणाम यह है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने बी. सी. सी. आई. में केवल एक कार्यकाल के लिए निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में पद धारण किया है, विश्राम अवधि से गुजरना होगा।यह दलील दी गई है कि एक विशेष स्तर (बीसीसीआई या राज्य संघ, जैसा भी मामला हो, दूसरे स्तर पर एक पूर्व कार्यकाल के तुरंत बाद) पर एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड का अनुप्रयोग अनावश्यक रूप से सख्त है और जिस उद्देश्य के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

16. बीसीसीआई एक स्वायत्त खेल निकाय है।इस अदालत के फैसले ने एक पंजीकृत समाज के रूप में अपने संविधान में संशोधन करने की इसकी शक्ति को समाप्त नहीं किया।यह शर्त कि संशोधन तीन चौथाई बहुमत द्वारा किया जाए और इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अंतर्निहित उद्देश्य बीसीसीआई के संविधान को अपनाना पराजित नहीं हुआ है।जिस उद्देश्य के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू किया गया था, उसे प्रस्तावित संशोधन द्वारा कमजोर नहीं किया जाएगा, जो न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए अनुबंधों के अधीन होगा।प्रस्तावित अनुबंध कि कूलिंग ऑफ पीरियड एक ही स्तर

पर लगातार दो कार्यकाल अर्थात राज्य संघों या बीसीसीआई में लागू होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड के उद्देश्य को निरस्त नहीं करता है। इसलिए, हम उपरोक्त कॉलम 3 में दिए गए संशोधन को स्वीकार करते हैं।

17. अगला संशोधन बी. सी. सी. आई. के संविधान के खंड 6 (5) में प्रस्तावित है।खंड 6 (4) के मामले की तरह, खंड 6 (5) में प्रस्तावित संशोधन पर सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श किया गया था और न्याय मित्र द्वारा चर्चा के दौरान कुछ सुझाव दिए गए हैं।स्थिति को नीचे (ट्रैक मोड में) सारणीबद्ध किया गया हैः

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
6 (5)	कोई व्यक्ति कार्यालय धारक, शासी परिषद का सदस्य या किसी समिति या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इसी तरह के किसी संगठन का प्रतिनिधि होने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदिः (क) भारत का नागरिक नहीं है, (ख) जिसने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, (ग) जिसे दिवालिया घोषित किया गया है, या विकृतचित्त है, (घ) जो कोई मंत्री या सरकारी कर्मचारी है या कोई सार्वजनिक पद धारण करता है, (ङ) जो किसी खेल या एथलेटिक एसोसिएशन में कोई पद या पद धारण करता है, (च) 9 वर्ष की संचयी	कोई व्यक्ति पदधारक होने के लिए या बी. सी. सी. आई. का सर्वोच्च परिषद सदस्य होने के लिए-शासी परिषद का सदस्य या किसी समिति या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इसी तरह के किसी संगठन का प्रतिनिधि होने के लिए-निरर्हित होगा यदिः (क) भारत का नागरिक नहीं है, (ख) जिसने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, (ग) जिसे दिवालिया घोषित किया गया है, (ग) को दिवालिया घोषित किया गया है, या विकृतचित्त व्यक्ति है, (घ) जो कोई मंत्री या सरकारी कर्मचारी है या कोई सार्वजनिक पद धारण करता है, (च) 9 वर्ष की संचयी अवधि	कोई व्यक्ति कार्यालय धारक, सर्वोच्च परिषद, शासी परिषद या बीसीसीआई की किसी समिति का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह (क) भारत का नागरिक नहीं है, (ख) जिसने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, (ग) जिसे दिवालिया घोषित किया गया है, (घ) जो मंत्री है या सरकारी कर्मचारी है, (ङ) जो 9 वर्ष की संचयी अवधि के लिए बीसीसीआई का कार्यालय धारक रहा है, या (च) किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दंडित किया गया है।

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
	अवधि के लिए बी. सी. सी. आई. का या 9 वर्ष की संचयी अवधि के लिए किसी राज्य संघ का पदाधिकारी रहा है। (छ) किसी दांडिक अपराध को करने के लिए न्यायालय द्वारा आरोपित किया गया है, अर्थात् सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने का आदेश पारित किया गया है।	के लिए बी. सी. सी. आई. का या 9 वर्ष की संचयी अवधि के लिए किसी राज्य संघ का पदाधिकारी रहा है। 6.5.2 कोई व्यक्ति शासी परिषद या बी.सी.सी.आई. की किसी समिति का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह (क) भारत का नागरिक नहीं है, (ख) दिवालिया घोषित किया गया है, या विकृतचित्त है, (ग) मंत्री या सरकारी कर्मचारी है, (घ) आपराधिक अपराध करने के लिए आरोप विरचित करने का आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और कम से कम तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से कारावास से दंडित किया गया है। सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय।	

18. बी.सी.सी.आई. ने प्रस्तुत किया है कि क्रिकेट के अलावा खेल या एथलेटिक एसोसिएशन या फेडरेशन में किसी भी पद या पद को धारण करने से निरर्हता को संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि कई प्रतिष्ठित क्रिकेटर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद फुटबॉल और गोल्फ जैसी अन्य खेल गतिविधियों से जुड़े हैं और उन्हें उस मैदान पर अयोग्य ठहराने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, यह प्रस्तुत किया गया है कि निरर्हता जो किसी व्यक्ति के साथ

संलग्न है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है एवं आपराधिक अपराध को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि ऐसे व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जिसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।यह प्रस्तुत किया गया है कि इस संशोधन का उद्देश्य उन पदाधिकारियों की रक्षा करना है, जिनके खिलाफ तुच्छ अभियोजन चलाया जा सकता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 'या लोक पद धारण करता है' अभिव्यक्ति अति व्यापक है और यह कि निरर्हता केवल उस व्यक्ति पर लागू होनी चाहिए जो मंत्री या सरकारी सेवक के रूप में पद धारण करता है।

19. इस शर्त को स्वीकार किया जा सकता है कि किसी अपराध के दोष-सिद्धि पर निरर्हता संलग्न होनी चाहिए। तथापि, आगे यह शर्त स्वीकार नहीं की जा सकती कि निरर्हता तीन वर्ष या अधिक के कारावास के दंडादेश का पालन करेगी। सुनवाई के दौरान बीसीसीआई इस बात पर सहमत हो गया कि अयोग्यता से दोषसिद्धि और कारावास की सजा तय होगी।अन्य संशोधनों के लिए दिए गए कारण स्वीकार्य हैं। ऊपर जो कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, उपर्युक्त कॉलम 3 में सारणीबद्ध संशोधन इस न्यायालय के निर्णय के मूल उद्देश्य और उद्देश्य को कम नहीं करता है।उपरोक्त कॉलम 3 में प्रस्तावित संशोधन को लागू करने की अनुमति दी गई है।

20. खंड 14.3 और 14.4 के साथ-साथ खंड 3 (बी) (vii) में एक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जो खंड 6 (4) और 6 (5) में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप है।खंड 14.3 और 14.4 और खंड 3 (बी) (vii) में संशोधन निम्नलिखित शब्दों में हैं:

खंड	मौजूदा प्रावधान	बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
14 (3) और (4)			14.3 कोई व्यक्ति पार्षद होने से निरहित होगा यदि वह (क) भारत का नागरिक नहीं है, (ख) जिसने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, (ग) जिसे दिवालिया घोषित किया गया है, या विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति है,

खंड	मौजूदा प्रावधान	बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
			(घ) जो मंत्री है या सरकारी सेवक है, (ङ) जो 9 वर्ष की संचयी अवधि के लिए बीसीसीआई का कार्यालय धारक रहा है, या (च) जिसे किसी आपराधिक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और कारावास से दंडित किया गया है। 14.4.1 प्रत्येक निर्वाचित पार्षद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो सर्वोच्च परिषद के अधिकतम 3 कार्यकाल के अधीन होगा। एक पार्षद जिसने बीसीसीआई में लगातार दो कार्यकाल के लिए कोई भी पद संभाला है, वह तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना बीसीसीआई में आगे कोई चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पार्षद शासी परिषद या बीसीसीआई की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। 'काउंसलर' अभिव्यक्ति को किसी अन्य समिति या बीसीसीआई में शासी परिषद का सदस्य होने के द्वारा दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 14.4.2. यदि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के समतुल्य निकाय में लगातार दो बार पार्षद के रूप में संघ और बीसीसीआई में लगातार बिना किसी ब्रेक कार्य किया है, के ऐसा व्यक्ति राज्य संघ के समतुल्य निकाय या बीसीसीआई में काउंसलर बनने का पात्र नहीं होगा। इस अवधि के दौरान ऐसा पार्षद शासी परिषद या बीसीसीआई या किसी राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। 'पार्षद' अभिव्यक्ति को किसी अन्य समिति या बीसीसीआई या किसी राज्य संघ में

खंड	मौजूदा प्रावधान	बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
			शासी परिषद का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।
(ख) (vii)	एक प्रावधान होगा जिसके तहत कोई पदाधिकारी या शासी परिषद/प्रबंध समिति/शीर्ष परिषद का कोई निर्वाचित सदस्य जिसने राज्य संघ या बीसीसीआई (या दोनों के संयोजन) में लगातार दो बार कोई पद संभाला हो, वह तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना आगे कोई चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी या शासी निकाय/प्रबंध समिति/शीर्ष परिषद का निर्वाचित सदस्य शासी परिषद या बीसीसीआई या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा।		3(ख)(vii)(ए) एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके तहत कोई पदाधिकारी या शासी परिषद/ प्रबंध समिति/ शीर्ष परिषद का कोई निर्वाचित सदस्य जिसने राज्य संघ में लगातार दो बार कोई पद संभाला हो, वह तीन वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी किए बिना ऐसे राज्य संघ में आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। इस कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी या शासी परिषद/प्रबंध समिति/शीर्ष परिषद का निर्वाचित सदस्य शासी परिषद या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। पद 'पदाधिकारी' को राज्य संघ में किसी अन्य समिति या शासी परिषद का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो। 3 (ख) (vii) (ख) एक ऐसा उपबंध होगा जिसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति ने राज्य संघ में और बी. सी. सी. आई. [या इसके विपरीत] में लगातार बिना किसी विराम के लगातार दो बार सेवा की है तो ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की शीतसन अवधि पूरी किए बिना राज्य संघ या बी. सी. सी. आई. में आगे कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। इस अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी या शासी परिषद/प्रबंध समिति/शीर्ष परिषद का निर्वाचित सदस्य शासी परिषद या बीसीसीआई या राज्य संघ की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा। पद 'पदाधिकारी' को किसी अन्य समिति या बीसीसीआई में शासी परिषद या किसी राज्य संघ का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी

खंड	मौजूदा प्रावधान	बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
			जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

21. खंड 7 (3), 15 (3) और (4) और 19 (2) में प्रशासनिक प्रकृति के कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं, जो नीचे सारणीबद्ध हैं:

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
7 (3)	सचिव को (क से ङ) ..... मानद संयुक्त सचिव को कोई कार्य सौंपने की शक्ति होगी।	सचिव को (क से ङ)..... (च) सचिव को मानद संयुक्त सचिव या प्रबंधन में किसी व्यक्ति को कोई कार्य (ए. से ई.) प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी। (छ) क्रिकेट और गैर-क्रिकेट मामलों के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग संबंधित प्रबंधन कार्मिकों के साथ किया जाएगा, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियमित आधार पर भी शामिल होंगे। (ज) प्रबंध कार्मिक, कर्मचारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन कार्य करेंगे।	सचिव को (क से ङ)..... (च) सचिव को मानद संयुक्त सचिव या प्रबंधन में किसी व्यक्ति को कोई कार्य (ए.से ई.) प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी। (छ) सीईओ रिपोर्टिंग सहित संबंधित प्रबंधन कर्मियों के साथ क्रिकेट और गैर-क्रिकेट मामलों के संबंध में सभी शक्तियों का नियमित आधार पर उपयोग करेगा। (ज) प्रबंध कार्मिक, कर्मचारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन कार्य करेंगे।
15 (3) और (4)	(3) सर्वोच्च परिषद सीईओ, क्रिकेट समितियों और स्थायी समितियों पर उनके कर्तव्यों के निर्वहन	(3) सर्वोच्च परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रिकेट समितियों और स्थायी समितियों पर सचिव के	सर्वोच्च परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रिकेट समितियों और स्थायी समितियों पर सचिव के

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
	में सामान्य रूप से, और विशेष रूप से, सामान्य निकाय के किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अनुसार, आईपीएल की शासी परिषद को छोड़कर, जो सीधे आम निकाय के प्रति जवाबदेह है, अधीक्षण का प्रयोग करेगी।	माध्यम से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सामान्य रूप से और विशेष रूप से, आईपीएल की शासी परिषद को छोड़कर, सामान्य निकाय के किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अनुसार अधीक्षण का प्रयोग करेगी, जो सीधे आम निकाय के प्रति जवाबदेह है।	माध्यम से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सामान्य रूप से और विशेष रूप से, आईपीएल की शासी परिषद को छोड़कर, सामान्य निकाय के किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अनुसार अधीक्षण का प्रयोग करेगी, जो सीधे आम निकाय के प्रति जवाबदेह है।
	(4) इन नियमों और विनियमों और संगम ज्ञापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च परिषद इसके पश्चात् उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगीः (क) से (ग)..... पेंशन, मानदेय, क्षतिपूर्ति, कोई भी अनुग्रह भुगतान और/या भविष्य निधि और ऐसे कर्मचारियों को निलंबित, जुर्माना, हटाना या बर्खास्त करके अनुशासन को विनियमित करना।	(4) इन नियमों और विनियमों और संगम ज्ञापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च परिषद इसके पश्चात् उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगीः (क) से (ग)..... (घ) सचिव के माध्यम से बी. सी. सी. आई. के पक्ष में या उसके विरुद्ध या बी. सी. सी. आई. के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई या कार्यवाहियां संस्थित करना या प्रतिवाद करना. अधिकारियों, चपरासी और अन्य सेवा कार्मिकों और कर्मचारियों को वेतन, वेतन, उपदान, पेंशन, मानदेय, क्षतिपूर्ति, कोई अनुग्रह भुगतान और/या भविष्य	(4) इन नियमों और विनियमों और संगम ज्ञापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च परिषद इसके पश्चात् उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगीः (क) से (ग)..... (घ) सचिव के माध्यम से, बी. सी. सी. आई. के पक्ष में या उसके विरुद्ध या बी. सी. सी. आई. के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई या कार्यवाहियां संस्थित करना या प्रतिवाद करना।

खंड	मौजूदा प्रावधान	बी सी सी आई द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	एमिकस के सुझाव के बाद प्रस्तावित खंड
		निधि तथा ऐसे कर्मचारियों को निलंबित, जुर्माना लगाकर, हटाकर या बर्खास्त करके अनुशासन को विनियमित करना।	
19 (2)	(2) बी.सी.सी.आई. का दिन-प्रति-दिन प्रबंधन क्रिकेट और गैर-संक्षिप्त क्रिकेट दोनों प्रकार के मामलों में पेशेवरों द्वारा किया जाएगा।	(2) बी.सी.सी.आई. का दैनंदिन प्रबंधन क्रिकेट और गैर-कानूनी दोनों प्रकार के क्रिकेट मामलों में पेशेवरों द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निदेश और नियंत्रण के अधीन किया जाएगा।	(2) बी.सी.सी.आई. के डे टू डे प्रबंधन का संचालन संबंधित पदाधिकारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण में क्रिकेट और गैर-अनौपचारिक क्रिकेट दोनों प्रकार के मामलों में पेशेवरों द्वारा किया जाएगा।

22. उपरोक्त संशोधन, जो ऊपर कॉलम 3 में सारणीबद्ध किए गए हैं, स्वीकार किए जाते हैं।

23. बी. सी. सी. आई. के संविधान में संशोधन करने के लिए न्यायालय की अनुमति की अपेक्षा करने वाले उपबंध को हटाने के लिए खंड 45 में संशोधन की ईप्सा की गई थी। प्रस्तावित संशोधन पर बीसीसीआई जोर नहीं दे रहा है।

24. (2018) 9 एससीसी 624 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के 9 अगस्त, 2018 के पहले के फैसले के पैराग्राफ 45.2 और 45.3 में निम्नलिखित निर्देश हैंः

> "45.2 बीसीसीआई के उक्त संविधान के पंजीकरण के बाद प्रत्येक सदस्य उसके बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर इसी तर्ज पर अपने-अपने संविधान का पंजीकरण कराएगा।सीओए को एक अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो राज्य संघों द्वारा किए गए अनुपालन के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
>
> 45.3 यदि कोई राज्य संघ उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो इस न्यायालय के दिनांक 7-10-2016 [बीसीसीआई बनाम बिहार क्रिकेट

संघ, (2016) 10 एससीसी 23] और 21-10-2016 [बीसीसीआई बनाम बिहार क्रिकेट संघ, (2016) 10 एससीसी 231] के आदेशों में निहित निदेश पुनर्जीवित होंगे।"

25. उपरोक्त निर्देश वर्तमान निर्णय द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर भी लागू होंगे।

26. श्री अखिलेश कुमार पांडेय, अधिवक्ता, दो व्यक्तियों की ओर से जो पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नामक संस्था के सदस्य थे, इन कार्यवाहियों में उपस्थित हुए।संशोधनों का विरोध करते हुए, वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित शब्दों में खंडों का कोई भी संशोधन मूल संविधान के प्रावधानों के अंतर्निहित उद्देश्य को प्रभावित करेगा।

27. शिकायत का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद, हम उन कारणों के लिए कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो हमने पहले ही इंगित किए हैं।

28. तदनुसार, अंतरिम आवेदन का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यामूर्ति]

(हिमा कोहली, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।